

प्रेषक,

दीपक त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

कार्मिक अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 01 जून, 2018

विषय:- तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2001 में विनियमितीकरण हेतु निर्धारित कट-आफ-डेट दिनांक 30.06.1998 के पश्चात् की गयी तदर्थ नियुक्तियों के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

शासन के संज्ञान में आया है कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में दिनांक 30.06.1998 के पश्चात् भी तदर्थ नियुक्तियों की गयी हैं। उल्लेखनीय है कि सेवाओं में स्थिरता एवं स्थायित्व लाने के उद्देश्य से सभी प्रकार की तदर्थ नियुक्तियों को हतोत्साहित करना शासन की नीति है। इसी उद्देश्य से शासन द्वारा सदैव इस बात पर बल दिया जाता रहा है कि प्रत्येक सेवा के सभी पदों पर संगत सेवा नियमों के अन्तर्गत समय से नियमित चयन सम्पन्न किया जाय ताकि तदर्थ नियुक्तियों की आवश्यकता उत्पन्न न हो। इस सम्बन्ध में कार्मिक अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-15/18/86-का-1-97, दिनांक 06 नवम्बर, 1997 द्वारा सीधी भर्ती एवं पदोन्नति दोनों प्रकार की तदर्थ नियुक्तियों को पूर्णतः प्रतिबन्धित किया गया है।

2- उक्त के सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि पूर्व में तदर्थ रूप से नियुक्त कार्मिकों को विनियमित किये जाने हेतु कार्मिक विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979 यथा संशोधित, 2001 तथा उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979 यथा संशोधित, 2001 निर्गत की गयी हैं। उक्त संशोधन नियमावली, 2001 में अन्तिम बार तृतीय संशोधन करते हुए तदर्थ नियुक्तियों के विनियमितीकरण हेतु कट-आफ-डेट दिनांक 30.06.1998 निर्धारित की गयी है। अर्थात् दिनांक 30.06.1998 के पश्चात् किसी प्रकार की तदर्थ नियुक्तियां नहीं की जा सकती हैं।

3- उपर्युक्त के क्रम में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके अधीनस्थ प्रशासकीय/अधिष्ठानीय नियंत्रणाधीन विभाग में दिनांक 30.06.1998 के पश्चात् यदि तदर्थ रूप से कोई नियुक्ति की गयी है तो ऐसे कार्मिकों के सम्बन्ध में विभाग की समेकित सूचना दिनांक 15.06.2018 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने एवं दिनांक 30.06.1998 के पश्चात् तदर्थ रूप से की गयी ऐसी नियुक्तियों के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध की गयी/की जा रही कार्यवाही/स्थिति से कार्मिक विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

दीपक त्रिवेदी

अपर मुख्य सचिव ।

संख्या-7/2018-4सी.क्यू./2015(1)-का-1-2018, तदुदिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
3. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
4. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश ।
5. सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
6. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

अनिता श्रीवास्तव

विशेष सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

<http://shasanadesh.up.nic.in>

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।